

हमारासंदर्भ:स्था-V/3:2/2019

## कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को दिये गए विवरण के अनुसार तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है:

It has been decided to transfer of the following officials with immediate effect as per the details given below:

क्र. सं.	कर्मचारी सं.	नाम एवं पदनाम	स्थानांतरण	
			से	में
1	054437	Smt Asha Sehgal, Section Officer	DLBO-I	LSC
2	054321	Shri Maheshwar Kumar, Section Officer	CMD-II	DLBO-I
3	068799	Shri Rahul Gautam, Stenographer	DDGW Sectt	Registration Deptt
4	032123	Shri Ashish Kumar, LDC	GSD	PRTD
5	030007	Shri Mahendra Ray, LDC	CHD	GSD
6	029742	Smt Rajoo, Attendant	DDG(CA) Sectt	Policy Research & Training Secretariat

2. उपरोक्त सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अपने वर्तमान स्थान से stand relieved किया जाता है। वे अपने नए स्थान पर ड्यूटी के लिए तत्काल रिपोर्ट करेंगे।

All the above employees are stand relieved from their present place of posting with immediate effect and report for duty at their new place of posting immediately.

3 श्री राहुल गौतम, आशुलिपिक (Sl.No.3 above) अपने स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित किए गये हैं। अतः यह स्थानांतरण लाभ/जोइनिंग टाइम, आदि पाने के हकदार नहीं होंगे वह अपने स्थानांतरण से पहले सीजीएचएस कार्ड, कोई किताब/ प्रकाशन, यदि कोई हो, जो कि उन्होंने अपने नाम से जारी कराई है, विभाग को वापस करेंगे। उनके लिये यह आवश्यक है कि वह स्थानांतरित होने से पहले अपने सभी देय समायोजनों जैसे कि चिकित्सा, एल.टी.सी., यात्रा भत्ता, आदि का निपटान संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार करेंगे।

Shri Rahul Gautam, Stenographer (Sl.No.3 above) shall not be entitled to any transfer benefits i.e. TA, Joining Time, etc. as he has been transferred on his own request. He shall return CGHS Card(s), any book or publication borrowed by him, if any, before relieving. He is required to settle the due adjustments i.e. TA/DA, LTC, Medical, etc. in accordance with the relevant rules and regulations before relieving.

4 उनके लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी ड्यूटी ग्रहण रिपोर्ट अपने विभागीय प्रमुख के माध्यम से स्थापना विभाग ([estt@bis.gov.in](mailto:estt@bis.gov.in)) तथा साथ ही एक कॉपी निदेशक (वित्त) को प्रेषित करेंगे।

They are required to send their Joining Report through their Departmental Head to Establishment Department ([estt@bis.gov.in](mailto:estt@bis.gov.in)) together with a copy endorsed to Director (Finance), in due course.

5 यह आदेश, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of Competent Authority.



(संदीप मीना)

निदेशक (स्थापना)

उपरोक्त संबंधित कर्मचारियों को परिचालित

All concerned employees above

कॉपी प्रेषित:

- DDGA Sectt
- All concerned Activity Heads
- All concerned Departmental Heads
- DAC
- DF